

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 21/2017



1. मोतीराम पुत्र श्योजीराम।

2. कमला देवी पत्नी भगवाना।

3. मनोहरलाल पुत्र भगवाना।

4. भगवानी देवी पत्नी छोटूराम।

5. मुकेश पुत्र छोटूराम समस्त जाति कुमावत निवासीगण ढाणी कांकड़वाली तन खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1. वेदप्रकाश पुत्र भगवान सहाय।

2. रामकिशोर पुत्र भगवान सहाय समस्त जाति कुमावत निवासीगण चौमू पुरोहितान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 2ए सीपीसी

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट

2. श्री सुखदेव सिंह महला, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

राजवीर सिंह चौधरी
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर




-निर्णय-

दिनांक:- 02.03.2020

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 328/2010 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। इस अपील में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2016 को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए उभयपक्ष को पाबन्द किया गया था। इस आदेश की अवमानना का आवेदन पेश किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 01.08.2016 की अप्रार्थीगण द्वारा अवहेलना कर विवादित भूमि पर बलात कब्जे का प्रयास किया गया। इस पर आवेदकगण की ओर से यह अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रकरण में इस न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुये भी अप्रार्थीगण ने भूमि खसरा नम्बर 1034 रकबा 0.59 हैक्टेयर वाके ग्राम चौमू पुरोहितान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर पर कब्जा करने का कुप्रयास किया तब दिनांक 29.08.2016 को प्रार्थीगण के द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय श्रीमाधोपुर के समक्ष न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना करवाने के लिए प्रार्थना की तब तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा हल्का पटवारी चौमू पुरोहितान को पालना हेतु लिखा तथा तत्समय अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश की अवहेलना करने से रोका गया। अप्रार्थीगण के द्वारा पुन माह फरवरी 2017 में उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1034 पर कब्जा करने का प्रयास करने व ट्रेक्टर से प्लाउ चलाने, पेड़ पौधे काटने की कुचेष्टा करने पर प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की पालना के बाबत अप्रार्थीगण को कहा तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि इस तरह के स्थगन आदेश बहुत देखे है इस स्थगन आदेश को सहेज कर बक्से में रख लो काम आयेगा तथा


 जिला अधिकारी एवं
 प्रदेय सहायक न्यायालय
 सोनभद्र



काफी भला बुरा कहा जबकि अप्रार्थीगण दिनांक 23.09.2016 को न्यायालय में उपस्थित आ चुके थे। जिनके द्वारा जानबुझकर स्थगन आदेश की अवज्ञा करने पर प्रार्थीगण ने दिनांक 09.02.2017 को ही श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना रींगस को प्रार्थना पत्र पेश किया। जिनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा इसी दिन श्रीमान तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष अप्रार्थीगण की शिकायत की गयी। जिन्होंने हल्का पटवारी चौमू पुरोहितान की कार्यवाही व जांच हेतु लिखा। लेकिन हल्का पटवारी द्वारा किसी किस्म की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण ने भूमि के कुछ भाग पर प्लाउ चला दिये तथा दो तीन पेड़ काट लिये। जिन्हे उक्त कृत्य के लिए दण्डित किया जाना प्रार्थनीय है। अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2016 को अपील संख्या 117/2016 में उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना का कोई साक्ष्य दस्तावेजी अथवा मौखिक आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के आदेश की अवमानना किया जाना प्रमाणित नहीं है। आवेदन सारहीन है। खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2016 को अपील संख्या 117/2016 में उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना का कोई साक्ष्य दस्तावेजी अथवा मौखिक आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के आदेश की अवमानना किया जाना प्रमाणित नहीं है।


2016
अधीक्षक अधिकारी एवं
उत्तर प्रदेश सरकार अधीक्षक अधिकारी
सीकर



4

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राजवीर सिंह चौधरी)
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर